संख्या–एस0ई0–1428 / दस–11–बीमा–14 / 08

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 23 सितम्बर, 2011

विषयः– **उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत उत्पन्न दावों के निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–एस0ई0–1987 / दस–10 –बीमा–14 / 08, दिनांक 06–01–2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ऐसे समस्त अधिकारियों जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे रू0 5400 / – से अधिक है, के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों का निस्तारण सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। उक्त व्यवस्था दिनांक 01–03–2011 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त, सेवारत अवस्था में मृत्यु तथा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले सरकारी अधिकारियों पर लागू की गई है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि उक्त व्यवस्था से समूह –'ग' श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारी तथा समूह–'ख' श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के निस्तारण का कार्य पुनः केन्द्रीयकृत हो गया है तथा उक्त श्रेणी के ऐसे कर्मचारी / अधिकारी जिनके ग्रेड पे रू0 5400 / – से अधिक हैं, के दिनांक 01–03–2011 तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति, सेवारत अवस्था में मृत्यु अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय स्तर से किया जा रहा है।

3– अतः उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 06–01–2011 में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ स्तर से केवल उ0प्र0 राज्य सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो समूह 'क' के पद पर पदोन्नत हुये हों तथा ग्रेड पे 6600 या इससे अधिक प्राप्त कर रहें हैं, के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों के निस्तारण का कार्य किया जायेगा तथा केवल समूह 'क' श्रेणी के मासिक अभिदानों के कटौतियों के व्यक्तिगत लेजर बीमा निदेशालय स्तर पर तैयार किये जायेगें।

———2 / –

4– उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अराजपत्रित सरकारी सेवक समूह 'ख' के राजपत्रित अधिकारी जिन्हें पूर्व में समयमान वेतनमान अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अंतर्गत रू0 5400/– या इससे अधिक ग्रेड पे प्राप्त हो रहा है, उनके सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों का निस्तारण दिनांक 01–10–2011 या उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति, सेवारत अवस्था में मृत्यु अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर संबंधित जिले के कोषगारों द्वारा (प्रतिनियुक्ति के मामलों को छोड़कर) पूर्व की भांति किया जायेगा।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–एस0ई0–1428(1)/दस–11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3– निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– भाषा (प्रकाशन) अनुभाग को 4 प्रतियों सहित।

आज्ञा से,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।